20

संख्या:– /XVII-5/16–09(26)/2014-TC

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण
निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक 20 जुलाई, 2016

विषय:–विभिन्न विभागों में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर प्रायोजित कार्मिकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–331/XVII-5/16/09(26)/2014–टी0सी, दिनांक 15.03.2016, शासनादेश सख्या–701/XVII-5/16/09(26)/2014 टी0सी, दिनांक 08.07.2016 एवं शासनादेश सख्या–713/XVII-5/16/09(26)/2014 टी0सी, दिनांक 09.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्सिंग व्यवस्था से नियोजित कार्मिक जिन्हें वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा अकारण हटा दिया गया है, यदि वे कदाचार के दोषी नहीं है तो उन्हें पद उपलब्ध होने पर अन्य अर्हताओं को पूर्ण करने पर पुनः आउटसोर्सिंग द्वारा नियोजित करने हेतु नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी एवं वर्तमान परिस्थितियों/कार्यहित/जनहित/शासकीय हित में विभाग में यदि ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता है, तो उनके नियोजन की निरन्तरता बनाई रखी जा सकती है।

अतः उपरोक्त के संबंध में मुझे पुनः सम्यक् विचारोपरान्त यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्थान जिन्होंने विभागीय कार्य हित/जन हित/शासकीय हित में उपनल के माध्यम से उनके द्वारा प्रायोजित कार्मिकों जिन्हें वर्तमान कैलेण्डर वर्ष 2016 में अकारण हटा दिया गया है, को उनके द्वारा आवेदन करने पर 15 दिन के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध पदों के सापेक्ष पुनः उपनल के माध्यम से प्रायोजित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी तथा तदनुसार नियोजित किये जाने की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग एवं सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की होगी, किन्तु यह निर्देश कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता, अकार्यकुशलता आदि से संबंधित प्रकरणों पर लागू नहीं होंगे एवं किसी भी सक्षम न्यायालय/न्यायाधिकरण एवं आयोग आदि के आदेशों के अधीन होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

GO UPNAL 2016

पृष्ठांकन संख्या 771 (1)/XVII-5/16–09(26)/2014-TC: तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।